कृषि उपज विपणन समिति सोलन हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019

भाग-I

1. **प्रारम्भिक:-**

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एंव उद्यानिकी उपज (विकास एंव विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 48(2) के दृष्टिगत कृषि उपज मण्डी समिति सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया|

(ख) **अंकेक्षण अवधि के दौरान मण्डी समिति सोलन में अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर कार्यरत रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-**

नं	पदाधिकारी का नाम	पद	कार्यकाल
1	श्री विनोद कुमार {भ०प्र०से०}	अध्यक्ष	24.02.2018 से 12.07.2018
2	श्री संजीव कश्यप	अध्यक्ष	13.07.2018 से 31.03.2019
3	श्री प्रकाश कश्यप	सचिव	04.05.2016 से 31.03.2019

(ग) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

कृषि उपज विपणन समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अंकेक्षण पैरों की गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्यां	विवरण	पैरा संख्यां	राशि (लाखों में)
1.	वितीय स्थिति व् बैंक शेष में अन्तर	4(ख)	79.63
2.	सावधि जमा की परिपक्कता पर ब्याज की हानि	4(ग)(i)	1.12

3.	सावधि जमा की परिपक्वता कम प्रदान करना	4(ग)(ii)	1.10
4.	अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि	4(ग)(iii)	4.99
5.	मण्डी समिति की निधि को निजी बैंकों में निवेश करना	4(ग)(v)	13.60
6.	राशी को चालु खाते में रखने के कारण मण्डी समित को ब्याज के रूप में हो रही निरन्तर हानि	4(ग)(vii)	0.60
7.	पट्टे पर दी गई दुकानों बकाया राशि की वसूली न करना	5	9.26
8.	दुकानों से किराये की वसूली हेतु शेष राशी	6(क)	31.78
9.	अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	8(क)	6.06
10.	निक्षेप कार्यों के लिए जमा राशी की सूची तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	8(ख)	509.50
11.	मण्डी शुल्क की कम वसूली करना	10	0.42
12.	सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना कर्मचारियों को आउटसोर्स के आधार पर कार्य पर रखना	16	1.14
13.	बिना बजट प्रावधान के किया गया अनियमित व्यय	19 & 20	33.06

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति संलग्न **"परिशिष्ट–"क"** पर दर्शायी गई है| गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वसूली से सम्बन्धित अनेक आपत्तियां शामिल है जिन पर शीघ्र कार्यवाही करके वसूली करने के अतिरिक्त अन्य पैरों का भी निपटारा करवाया जाए|

भाग-II

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

कृषि उपज विपणन समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 के लेखाओं का अंकेक्षण श्रीमती ममता रावल तथा श्री राकेश कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा पूर्वकिंक्षण प्रणाली के आधार पर किया गया था|

3 अंकेक्षण शुल्क:-

निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति सोलन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी तथा लेखा परीक्षक का वितीय वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण शुल्क **₹7,64,876/-** आँका गया जिसे मण्डी समिति द्वारा चेक संख्या: 249252 दिनांक 19.08.2019 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया है|

4 वितीय स्थिति:-

(क) मण्डी समिति सोलन द्वारा **परिशिष्ट-"ख"** पर प्रस्तुत मण्डी समिति की वर्ष 2018-19 की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है;

दिनांक 01.04.2018 को आरम्भिक शेष:-

रोकड़ बही तथा बैंक शेष	38,03,31,834.59
अस्वीकृत चैक	16,87,197.00
कुल योग	**38,20,19,031.59**
वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां	10,40,27,875.89
कुल योग	**48,60,46,907.48**
वर्ष के दौरान कुल भुगतान	5,29,43,847.00
दिनांक 31.03.2019 को अन्तिम शेष	**43,31,03,060.48**
अस्वीकृत चैक	16,87,197.00
रोकड़ बही तथा बैंक शेष	43,14,15,863.48
योग	**48,60,46,907.48**

दिनांक 31.03.2019 को रोकड़ तथा बैंक के अन्तिम शेष का विस्तृत ब्यौरा:-

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹)
1	विभिन्न बैंकों के बचत तथा चालु खातों में जमा राशि (परिशिष्ट-"ख" के अनुसार)	10,26,96,227.95

2	सावधि जमा में निवेश राशि **(परिशिष्ट-"ग" के अनुसार)**	25,16,72,839.00
3	दिनांक 31.03.2019 को हस्तगत शेष राशि	2400.00
	कुल योग:-	**35,43,71,466.95**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

मण्डी समिति सोलन द्वारा नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है जबकि दिनांक 31.03.2019 को मण्डी समिति की वितीय स्थिति (आय व्यय विवरणी) के अनुसार अन्तिम शेष व् बैंक खातों (बचत खातों तथा सावधि जमा) के अन्तिम शेष में **₹79,63,339.47** **{परिशिष्ट-घ}** का अन्तर पाया गया | अतः बैंक शेष तथा रोकड़ बही/आय व्यय विवरणी के अन्तिम शेष में पाए गए अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अन्तर से सम्बन्धित समाधान विवरणी तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार माहवार बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए|

(ग) निवेश:-

मण्डी समिति सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को सावधि जमा योजना में **₹25,16,72,839/-** की निवेशित थी जिसका विस्तृत विवरण **{परिशिष्ट-"ग"}** में दिया गया है| मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न बैंकों में सावधि जमा निवेश तथा 22 बचत/चालू बैंक खाते कोआपरेटिव, राष्ट्रीयकृत तथा अधिकतर निजी बैंकों में खोल रखे थे| अतः यह सुझाव दिया जाता है की भविष्य में मण्डी समिति की सरप्लस निधि का निवेश हिमाचल प्रदेश सरकार वित् विभाग के पत्र संख्यां फिन-आई०एफ०(ए)1-66/91-V, फाइनेंस डिपार्टमेंट (आई०ऍफ़) शिमला-171002 दिनांक 17.04.2014 में दिए गए निर्देशानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए| इस प्रकार की अनियमितता बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्यां-4(ग) द्वारा भी सरप्लस निधि को निवेश करने बारे सुझाव दिया गया था परन्तु मण्डी समिति द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई ।

(i) सावधि जमा की परिपक्कता राशि को बचत खातों में देरी से जमा (Credit) करने के कारण ₹1.12 लाख के ब्याज की हानि:-

सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया की विभिन्न बैंकों द्वारा सावधि जमा की परिपक्कता राशि को मण्डी समिति के बचत खातों में देरी से जमा (Credit) दिया गया था जिस कारण मण्डी समिति को निम्नतालिका में दिए गए विवरणानुसार ब्याज के रूप में लगभग ₹111993/- की हानि हुई जिस बारे जांच करके स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि बारे सम्बंधित बैंक से समाधान किया जाए साथ ही अंकेक्षण को अवगत अवगत करना सुनिश्चित किया जाए|

Amount of Invest-ment	Rate of Intt. (%)	Amount of Maturity given/ credited	Date of maturity of FDR	Date of credit in SB	Delay in credit days	Amount of maturity to be given up to date of credit	Intt. Loss due to late credit
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8) {7-3}**
Name of Bank:-PNB, Solan							
8500000	6.60	9075038	31.03.19	06.04.19	6 days	9084260	9223
8500000	6.60	9075038	31.03.19	06.04.19	6 days	9084260	9223
6996586	6.60	7469916	28.03.19	06.04.19	6 days	7477507	7591
Note:-Maturity amount credited in SB A/C No 04332010000162 on 06.04.19 i.e. 6 days late							
Name of Bank:-HDFC Bank, Parwanoo							
19500000	6.75	19842586	31.03.19	05.04.19	5 days	19860617	18031
Note:-Maturity amount credited in SB A/C No:50100052901831 on 05.04.19 i.e. 5 days late							
Name of Bank:-State Bank of India, Solan							
5000000	6.25	5150404	28.03.19	04.04.19	7 days	5156749	6345
5000000	6.25	5150404	28.03.19	04.04.19	7 days	5156749	6345
3596006	6.25	3704723	28.03.19	04.04.19	7 days	3705661	938
10837238	6.75	11599541	27.03.19	04.04.19	8 days	11603510	3969
Note:-Maturity amount credited in SB A/C No:65292121063 7-8 days late from their maturity date							
Name of Bank:-UCO, Solan							
5182245	6.75	5544047	20.08.18	05.09.18	16 day	5550890	6843
Note:-Maturity amount credited in SB A/C No:-23300110022078 on 05.09.2018 i.e. 16 days late							

Name of Bank:-Baghat Bank Parwanoo							
774605	7.25	823449	28.03.19	12.04.19	15 day	824152	704
321317	7.25	341578	28.03.19	12.04.19	15 day	341869	291
1221681	7.25	1298717	28.03.19	12.04.19	15 day	1299827	1110
1135013	7.25	1206584	28.03.19	12.04.19	15 day	1207615	1031
Note:-Maturity amount credited in SB A/C No:-10700648021 on 12.04.2019 i.e. 15 days late							
Name of Bank:-JCC Nalagarh							
2533318	6.00	2688771	17.02.19	07.03.19	18 day	2696267	7496
Note:-interest loss due to renewal of FDR after 18 days late from its maturity date							
Name of Bank:-JCC Bank Solan							
2104911	6.00	2160965	27.03.18	03.04.18	7 days	2163387	2422
9038465	6.00	9292533	27.03.18	03.04.18	7 days	9302933	10400
8000000	6.00	8224877	27.03.18	03.04.18	7 days	8234082	9205
3557664	6.00	3648896	27.03.18	03.04.18	7 days	3652989	4094
3947764	6.00	4050298	27.03.18	03.04.18	7 days	4054958	4660
1612534	6.70	1723319	23.11.18	30.11.18	7 days	1725391	2072
Note:-Interest loss due to non renewal of FDRs with effect from their maturity dates							
Grant Total:-							**111993/-**

(ii) सावधि जमा की परिपक्वता ₹1.10 लाख कम प्रदान करना:-

सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया की निम्न तालिका में दर्शायी गई सावधि जमा की परिपक्वता राशि ₹1,10,681/- कम प्रदान की गई है जिस बारे जाँच करके स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम प्रदान की गई राशि को सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके मण्डी समिति कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए|

FDR Reg. page No.	Date of Invest-ment	Amount Invested	Rate of Intt. (%)	Period of Inves-tment	Amount received on maturity	Amount of maturity should have been	Less lealisa-tion/Intt. Loss on maturity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) {7-6}
Name of Bank:-JCC bank Parwanoo							
6	24.11.17	6450137	6.70	24.11.18	6881370	6893276	11906/-
	24.11.18	6881370	6.50	31.03.19	7025030	7037002/-	11972/-

7	22.11.18	14883938	6.50	31.03.19	15199559	15225861	26302/-
15	12.04.18	8500000	6.50	31.03.19	9045063	9048241	3178/-
15(A)	12.04.18	8500000	6.50	31.03.19	9045063	9048241	3178/-
16	12.04.18	8500000	6.50	31.03.19	9045063	9048241	3178/-
16A()	12.04.18	8500000	6.50	31.03.19	9045063	9048241	3178/-
17	12.04.18	8500000	6.50	31.03.19	9045063	9048241	3178/-
17(A)	12.04.18	8500000	6.50	31.03.19	9045063	9048241	3178/-
18	12.04.18	8656641	6.50	31.03.19	9211749	9214985	3236/-
(A)	**Total:-**						**72484/-**
Name of Bank:-JCC Bank, Nalagarh							
8	22.11.18	4464167	6.50	31.03.19	4558832	4566721	7889/-
(B)	**Total:-**						**7889/-**
Name of Bank:-JCC Bank, Solan							
86	03.04.18	4050298	6.50	27.03.19	4313567	4315323	1756/-
76	03.04.18	9292533	6.50	27.03.19	9896548	9900575	4027/-
75	03.04.18	2160965	6.50	27.03.19	2301428	2302364	936/-
76/33	03.04.18	8224877	6.50	27.03.19	8759494	8763059	3565/-
76/34	03.04.18	3648896	6.50	27.03.19	3886074	3887656	1582/-
(C)	**Total:-**						**11866/-**
Name of bank:- UCO Bank Solan							
93	20.08.17	5182245	6.75	20.08.18	5535554	5541001	5447/-
(D)	**Total:-**						**5447/-**
Name of bank:- Baghat Bank, Parwanoo							
87	19.04.17	1133875	7.25	14.05.18	1221681	1224393	2712/-
	14.05.18	1221681	7.25	28.03.19	1298717	1300845	2128/-
78	14.05.18	1135013	7.25	28.03.19	1206584	1208562	1978/-
69	19.04.17	718935	7.25	14.05.18	774605	776481	1876/-
69	14.05.18	774605	7.25	28.03.19	823449	824800	1351/-
(E)	**Total:-**						**10045/-**
Name of bank:- AU Finance Bank, Solan							
22	30.06.18	6000000	7.00	20.03.19	6307734	6308333	599/-
(F)	**Total:-**						**599/-**
Name of bank:- HDFC Bank Parwanoo							
23	03.04.18	10000000	7.00	03.03.19	10655948	10657477	1529/-
(G)	**Total:-**						**1529/-**

Name of bank:- SBI Solan							
29	04.10.18	5000000	6.25	28.03.19	5150756	5151167	411/-
29	04.10.18	5000000	6.25	28.03.19	5150756	5151167	411/-
(H)				**Total:-**			**822/-**
Grand Total:-{A+B+C+D+E+F+G+H}							**110681/-**

(iii) अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में ₹4.99 लाख की हानि:-

सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया की मण्डी समिति द्वारा दिनांक 29.11.17 को HDFC Bank, Parwanoo में FDR No. 50300173042590 में एक वर्ष की अवधि के लिए **4.90%** ब्याज दर पर **₹1,86,65,243/-** का निवेश किया गया था जबकि उक्त अवधि में PNB/JCC, Bank क्रमशः **6.60/6.70%** की ब्याज दर प्रदान कर रही थी जोकि HDFC Bank द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर से **1.80%** अधिक थी| उपरोक्त राशि को असुनियोजित ढंग से निजी बैंक में कम ब्याज दर पर निवेश करने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में **₹3,38,249/- {1.80% on 1,86,65,243/- for one year}** की हानि हुई है|

उपरोक्त सावधि जमा की परिपक्कता राशि **₹1,95,96,774/-** को PNB/JCC, Bank में क्रमशः **6.75/6.50%** ब्याज दर पर निवेश न करके दिनांक 29.11.2018 को **4.90%** की दर से एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः HDFC Bank में निवेश कर दिया गया था जिसे दिनांक 26.12.2018 को **27 दिनों** की अवधि के बाद pre-mature करवाकर 26.12.2018 से 31.03.2019 तक 94 दिनों की अवधि के लिए 6.75% ब्याज दर पर निवेश किया गया| उपरोक्त सावधि जमा को दिनांक 26.12.2018 को pre-mature करवाने पर HDFC Bank द्वारा **3.25%** की दर से कुल **₹47,113/-** की ब्याज राशि प्रदान की गई | अतः अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण उक्त राशि को सुविनियोजित ढंग से निवेश न करने के कारण मण्डी समिति कोष को **3.50%** {6.75%-3.25%} ब्याज की दर से लगभग **₹50,736/-** {3.50% on **1,95,96,774/- for 27days}** की हानि हुई है|

इसी प्रकार दिनांक 27.01201.8 को **₹2,09,92,715/-** की राशि PNB, Solan की में **4.25%** ब्याज दर पर 212 दिनों 27.01.2018 से 27.08.2018 के लिए सावधि जमा में निवेश की गई जिसकी परिपक्कता पर दिनांक 27.08.2018 को बैंक द्वारा 5.35% ब्याज दर से {₹6,61,148/}

परिपक्कता प्रदान की गई | उपरोक्त तिथि से 2 दिन पश्चात दिनांक 29.01.2018 को PNB की पड़ग शाखा में निवेशित **₹56,19,565/-** की राशी पर बैंक द्वारा **6.25%** की दर से ब्याज देकर परिपक्कता प्रदान की गई जोकि PNB, The Mall, Solan द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर से **0.90%**(6.25-5.35%} अधिक था| इस प्रकार मण्डी समिति की निधि को सुविनियोजित ढंग से निवेश न करने के कारण मण्डी समिति को **₹1,10,171/- {0.90% on 2,09,92,715/-** for 212 days} की ब्याज से प्राप्त हो सकने वाली आय की हानि हुई है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये|

उपरोक्त से यह प्रतीत होता है की मण्डी समिति द्वारा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अवेहलना करते हुए मण्डी समिति की निधि को निजी संस्था में अधिक जोखिम तथा कम ब्याज दरों पर निवेश करके एक निजी संस्था को लाभ तथा मण्डी समिति कोष को हानि पहुंचाई गई है | अतः मण्डी समिति की निधि सरकारी निर्देशों की अवहेलना करके कम ब्याज पर निवेश करने बारे तथ्यों सहित स्थति स्पष्ट की जाए साथ ही मण्डी समिति ब्याज के रूप में प्राप्त हो सकने वाली **₹4,99,156/-**{3,38,249+50736+110171} की आय की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(iv) सावधि जमा से सम्बन्धित दस्तावेज/Documentary Proof प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान सावधि जमा से सम्बन्धित Documentary Proof/copies of FDRs सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसकी अनुपस्थिति में FDR Register में सावधि जमा से सम्बन्धित दर्ज की गई आवश्यक सूचना, जैसे सावधि जमा में निवेश की गई राशि, निवेश की तिथि, सावधि जमा की अवधि, उक्तनिवेश पर बैंक द्वारा दी गई ब्याज दर तथा उसकी परिपक्कता राशि इत्यादि बारे अभिलेख के साथ सत्यापन/मिलान नहीं किया सका | अतः उक्त अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए समस्त अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(v) सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए मण्डी समिति की निधि की ₹13.60 करोड़ की राशि को निजी बैंकों में निवेश करना:-

लेखों की जांच में पाया गया की मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान अपनी अधिकाँश निधि को निजी बैंकों के बचत खातों/सावधि जमा में निवेश किया गया था तथा दिनांक

31.03.2019 को निम्नतालिकानुसार ₹9,48,57,191/- की राशि निजी बैंकों के बचत खातों में तथा ₹4,10,83,795/- की राशि सावधि जमा में निवेश की गई थी जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है तथा जिस बारे वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्यां 4(ग)(vii) में आपति दर्ज की गई थी जिस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है| अतः राशि को राज्य सहकारी बैंकों व् राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश करने के बजाय निजी बैंकों में निवेश करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए निजी बैंकों में निवेश की गई राशि को राज्य सहकारी बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानांतरित करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

Sr. No	**Name of Bank**	**Saving/current Account number**	**Balance as on 31.03.19**	**Amount in FDR,s as on 31.03.19**
1.	Axis Bank Solan	910010018216090	2,859.77	------
2.	Axis Bank, Parwanoo	917010048001702	84,14,200/-	------
3.	Baghat Bank	10700505036	92,89,554/-	2,74,76,965/-
4.	Baghat Bank	10700648021	44,33,184/-	2,78,614/-
5.	HDFC, Solan	50100273471625	63,10,718/-	------
6.	Yes Bank, Solan	02239460000044	3,03,641/-	1,17,54,296/-
7.	HDFC, Parwanoo	50100052901831	4,81,33,735/-	15,73,920/-
8.	Indusind Bank Solan	100052638809	64,08,782/-	------
9.	A.U. Bank Solan	1781238612276616	76,95,699/-	------
10	ICICI, Bank Solan **CA**	050405000649	14,59,564.75	------
11	ICICI, Bank Parwanu	373601000318	23,35,157/-	------
12	HDFC Bank, Solan	50100248132472	70,097/-	------
Total:-			**9,48,57,191/-**	**4,10,83,795/-**
			13,59,40,986/-	

(vi) बचत खातों में सरप्लस पड़ी राशि को सुविनियोजित ढंग से निवेश न करने के कारण हो रही ब्याज निरन्तर हानि:-

लेखों की जांच में पाया गया की अंकेक्षण अवधि के दौरान मण्डी समिति के विभिन्न बचत बैंक खातों में निम्नतालिकानुसार लगभग **9 करोड़ रुपये** की राशि **3 से 3.5%** ब्याज दर पर बिना किसी

उपयोग के शेष पड़ी थी| यदि मण्डी समिति की आवश्यकता को देखते हुए उक्त राशि को सुविनियोजित ढंग से निवेश किया जाता तो उक्त राशि पर बचत खाते पर प्राप्त ब्याज से 3.00% अधिक ब्याज दर पर सावधि जमा में निवेश करके मण्डी समिति कोष को ब्याज के रूप में 15-20 **लाख** रु की अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता था जिस बारे कोई प्रयास नहीं किया गया| अतः **₹9 करोड़** की राशि को सुविनियोजित ढंग से निवेश न करके उसे बचत/चालू बैंक खातों में रखने से मण्डी समिति कोष को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय की जो हानि हुई है उस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में सरप्लस पड़ी निधि को सुविनियोजित ढंग से निवेश करके मण्डी समिति को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय को अर्जित करना सुनिश्चित किया जाए|

Name of bank	**Account Number**	**SB A/C Balance as per pass book**	**Remarks**
Axis Bank	917010048001702	79,13,612/-	No withdrawal Only deposit entries
Baghat bank	10700505036	92,89,554/-	Only Interest and FDR,s entries
HDFC, Solan	50100273417625	63,14,947/-	Only interest entries
HDFC, Bank	50100052901831	2,77,95,076/-	Maximum deposit entries
Indusind Bank	100052638809	61,96,493/-	------do------
A U Bank Solan	1781238612276616	76,95,699/-	No withdrawal Only interest entries
Bank of Baroda	531901000902	2,29,97,232/-	No withdrawal Only deposit entries
UCO bank	2330011022076	15,70,267/-	------do------
ICICI Bank	373601000318	22,47,638/-	------do------
ICICI Bank **CA**	50405000649	13,99,798/-	------do------
		9,34,20,316	

(vii). अत्यधिक राशी को चालू खाते में रखने के कारण मण्डी समिति कोष को ब्याज के रूप में हो रही निरन्तर हानि बारे:-

वार्षिक लेखों की जांच में पाया गया की मण्डी समिति द्वारा ICICI बैंक में रख-रखाव किये जा रहे चालू खाता संख्यां 50405000649 में दिनांक 01.04.2018 को ₹10,94,111/- की राशी शेष थी, उक्त खाते में वर्ष के दौरान लगभग ₹1305000/- की राशी जमा की गई तथा दिनांक 29.12.2018 को ₹10,00,000/- की राशी बैंक ऑफ़ बड़ोदा में स्थानांतरित करने उपरान्त उक्त खाते में दिनांक 31.03.2019 को **₹13,99,799/-** की राशी शेष थी| उपरोक्त राशी को चालू खाते में रखने के कारण वर्ष के दौरान मण्डी समिति को ब्याज के रूप में आय प्राप्त नहीं हो सकी | यदि उक्त राशि को चालू खाते में रखने के बजाय राज्य सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते/सावधि जमा में निवेश किया जाता तो उक्त राशी पर वर्ष के दौरान **₹40000 से ₹60000/-** के ब्याज की आय का सृजन किया जा सकता था जिसे उपरोक्त अनुसार रखकर मण्डी समिति कोष के लिए अतिरिक्त आय के सृजन करने का प्रयास नहीं किया गया है | अतः उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि मण्डी समिति के निधि का रख-रखाव करते समय संस्था के हित को ध्यान में न रखकर निजी संस्था को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया है जोकि न्यायोचित नहीं है | अतः निजी बैंक में चालू खाते का रख-रखाव करने बारे स्थति स्पष्ट करते हुए उक्त खाते में अत्यधित राशी रखने के कारण मण्डी समिति कोष को ब्याज के रूप में जो हानि हुई है उसकी गणना करके उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

(vii). बिना लेनदेन के बचत बैंक खातों का रख-रखाव करना:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान मण्डी समिति द्वारा 22 बचत बैंक/चालू खातों का अनुरक्षण किया जा रहा था जिन में से निम्न तालिका में दर्शाए गए बचत बैंक खातों का पिछले कई वर्षों से बिना किसी लेनदेन के अनुरक्षण किया जा रहा है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन/इस प्रकार निष्क्रिय पड़े सभी बैंक खातों को तुरन्त प्रभाव से बन्द करना सुनिश्चित किया जाए|

Name of bank	Account Number	Remarks
JCC Nalagarh	101334001005943	Only Intt./ FDR amount credited on 31.03.19

OBC Bank Solan	02572010000580	Only Intt. credited
Allahbad bank Solan	50177294961	------do------
Axis Bank Solan	910010018216090	------do------

(viii). रोकड़ बही व् खाता बही की जांच में पाया गया की इनमे दर्ज बहुत सारी प्रविष्टियों को Correcting Fluid लगाकर Overwriting करके बदला गया था तथा काट-पीट करके बदली गई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकार बदली गई समस्त प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(घ). बचत बैंक खातों व् सावधि जमा के 31.03.2019 को अन्तिम शेष बारे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तथा मण्डी समिति द्वारा सूचना में ₹502.57 लाख के भारी अन्तर बारे:-

मण्डी समिति के वार्षिक लेखों के अंकेक्षण में पाया गया की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा मण्डी समिति के वर्ष 2018-19 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट **{परिशिष्ट- "ज"}** के साथ संलग्न अनुसूची **"Cash and bank Balances"** के क्रमांक 6 के अनुसार मण्डी समिति के विभिन्न बचत बैंक खातों में **₹17,79,29,571.39** तथा सावधि जमा में **₹25,07,02,735/-** कुल **₹42,86,32,306.39** की राशी शेष दर्शाई गई है जबकि उक्त बारे मण्डी समिति द्वारा तैयार की गई सूचना के अनुसार बचत बैंक खातों में **₹12,67,02,337.52** तथा सावधि जमा में **₹25,16,72,839/- कुल ₹37,83,75,176.52** शेष दर्शाई गई है | इस प्रकार दोनों विवरणियों के अनुसार मण्डी समिति के बचत बैंक खातों तथा सावधि जमा के अन्तिम शेष में निम्नतलिकानुसार **{42,86,32,306.39-37,83,75,176.52} ₹5,02,57,129/-** का अन्तर पाया गया जिस बारे जाँच करके स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये|

Sr. No.	Name of Banks	Balance shown as on 31.03.2019		
		Balance as per annexure attached with Receipt & Payment A/C Submitted by APMC	**Balance as per annexure attached with audit report submitted by Chartered Accountant**	**Difference in balances shown as per statements of accounts submitted as per Column No. 3 & 4 of this table**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5) {3-4}**
(A)	**FDR''s:-**			
(i)	SBI, Solan	---Nil---	79,94,393/-	(-)79,94,393/-
(ii)	HDFC, Parwanoo	15,73,920/-	1,05,73,921/-	(-)90,00,001/-
(iii)	JCC, Parwanoo	8,54,36,338/-	5,40,35,267/-	(+)3,14,01,071/-
(iv)	PNB, bye Pass Solan	3,82,09,105/-	6,52,09,105/-	(-)2,70,00,000/-
(v)	PNB, Parag	59,20,386/-	59,20,386/-	---Nil---
(vi)	JCC bank, Solan	5,13,34,444/-	4,95,19,775/-	(+)18,14,669/-
(vii)	Bank of Baroda	2,70,00,000/-	2,70,00,000/-	---Nil---
(viii)	JCC, Nalagarh	26,88,771/-	27,03,052/-	(-)14,281/-
(ix)	UCO bank Bye Pass Solan	------	------	------
(x)	Baghat bank Chambaghat	2,74,76,965/-	2,74,76,965/-	---Nil---
(xi)	Baghat Bank, Parwanoo	2,78,614/-	2,69,871/-	(+)8,743/-
(xii)	Yes Bank Solan	1,17,54,296/-	**------**	(+)1,17,54,296/-
	Total:-	**25,16,72,839/-**	**25,07,02,735/-**	**(+)9,70,104/-**
(B)	**Saving bank Accounts:-**			
(i)	Axis Bank Solan	2,859/77	2,810/77	(+)49/-
(ii)	Axis Bank Parwanoo	84,14,200/-	54,30,926.33	(+)29,83,273.67
(iii)	Baghat bank Chambaghat	92,89,554/-	92,89,654/-	(-)100/-
(iv)	Baghat Bank Parwanoo	44,33,184/-	44,33,154.04	(+)30/-

(v)	JCC Bank, Nalagarh	45,90,922/-	45,91,239/-	(-)317/-
(vi)	JCC Bank, Parwanoo	43,77,950/-	3,57,33,236.71	(-)3,13,55,286.71
(vii)	JCC Bank, Solan	6,60,467.86	16,96,975.86	(-)10,36,508/-
(viii)	OBC, Solan	7,831.14	7,694.14	(+)137/-
(ix)	PNB Bye Pass Solan	1,02,66,024/-	85,27,982.24	(+)17,38,041.76
(x)	HDFC, Solan	63,10,718/-	88,02,353/-	(-)24,91,635/-
(xi)	HDFC, Solan	77,097/-	------	(+)77,097/-
(xii)	HDFC, Parwanoo	4,81,33,735/-	3,95,17,865.87	(+)86,15,869.13
(xiii)	Allahbad bank, Nalagarh	1,470/-	1,457/-	(+)13/-
(xiv)	SBI, Bank Solan	5,95,589/-	1,81,85,929/-	(-)1,75,90,340/-
(xv)	Yes bank Solan	3,03,641/-	1,21,64,588.33	(-)1,18,60,947.33
(xvi)	Indusind Bank Solan	64,08,782/-	64,69,018/-	(-)60,236/-
(xvii)	A U Bank Solan	76,96,599/-	76,90,790/-	(+)5,809/-
(xviii)	Bank of Baroda, Rabon	59,20,221/-	60,10,071/-	(-)89,850/-
(xix)	UCO bank Solan	42,32,594/-	42,87,554/-	(-)54,960/-
(xx)	Bank of Maharashtra Solan	11,84,177/-	11,99,727/-	(-)15,550/-
(xxi)	ICICI Bank, Parwanoo	23,35,157/-	23,25,935/-	(+)9,222/-
(xxii)	ICICI Bank Solan **{CA}**	14,59,564.75	15,60,610/-	(-)1,01,045.25
	Total:-	**12,67,02,337.52**	**17,79,29,571.39**	**(-)51227236.73**
(C)	**Grand Total:- {A+B}**	**37,83,75,176.52**	**42,86,32,306.39**	**(-)5,02,57,129.87**

5 **टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आबंटित दुकानों से सम्बन्धित अभिलेख में पाई गई अनियमितताओं बारे:-**

(i). लीज रेन्ट की ₹9.26 लाख रुपये की वसूली न करना:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-"ड०"}** के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को Lease Rent की ₹9,26,600/- की राशि वसूली हेतु शेष दर्शायी गयी थी | लीज रेन्ट अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पांच वर्ष के पश्चात् लीज प्रीमियम की राशि में 10% की वृद्धि किया जाना अपेक्षित था परन्तु लीज रेन्ट रजिस्टर की जांच में पाया गया की निम्न तालिका में दर्शायी गयी दुकानों के प्रीमियम में अनुबन्ध अनुसार वृद्धि नहीं की गयी थी | जिस बारे जाँच करके स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अभिलेख को तदनुसार ठीक करना सुनिश्चित किया जाये|

(ii). Lease Rent की वसूली से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गयी जिनकी अनुपस्थिति में वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राशि तथा दिनांक 31.03.2019 को वसूली हेतु शेष की सत्यता बारे पुष्टि नहीं की जा सकी|

(iii). निम्नतालिका में दर्शाई गई **₹92,417/-** के लीज रेन्ट से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में वसूली हेतु दर्शाई गई शेष राशि की सत्यता बारे जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी|

Sr.	Lease Holder	Shop No.	Premium due	Service Charges	Total
1	M/S Fagu Ram Jiwa Ram	21	Nil	Nil	Nil
2	M/S Laxmi Singh Shimla	22	7961/-	1758/-	9719/-
3	M/S Subhash Chand Khanna	23	5721/-	1225/-	6946/-
4	M/S Inder lal Gian chand	25	4525/-	1004/-	5529/-
5	M/S Satluj Velley Traders	28	18607/-	5065/-	23672/-
6	M/S Apple Grower Centre	29	19231/-	5064/-	24295/-
7	M/S Sood Bros. Chandigarh	39	16946/-	5310/-	22256/-
			72991/-	**19426/-**	**92417/-**

(iv). लीज रेन्ट प्रीमियम पर लीज की तिथि **{वर्ष 2011}** से आज तक सर्विस चार्जेज की वसूली **₹22.25** प्रतिमाह **{₹267/- प्रति वर्ष }** की जा रही है, जबकि 01.07.2017 से GST Act के लागू हो जाने के पश्चात रेन्ट से प्राप्त होने वाली आय पर 18% वार्षिक दर से GST की वसूली की जानी

अपेक्षित थी परन्तु उक्त वसूली तदानुसार नहीं की जा रही है जोकि सम्बन्धित नियम की स्पष्ट अवहेलना है | अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए लीज रेन्ट प्रीमियम पर दिनांक 01.07.2017 GST की प्रभावी दरों पर नियमानुसार वसूली करना सुनिश्चित किया जाये |

(v). श्री सतीश कुमार आहूजा shop No. 17 दुर्गा फ्रूट कम्पनी से पिछले कई वर्षों से **₹586315/-** लीज रेंट पर ब्याज की राशी वसूली हेतु शेष है, जिस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्यां **4(ड०)** पर भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु उक्त राशी की वसूली अभी तक भी नहीं की गई है जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशी की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाये|

(vi). लीज रेन्ट रजिस्टर की जाँच में पाया गया की उक्त अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी/आहरण एवम् वितरण अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया जिसकी अनुपस्थिति में उक्त अभिलेख विश्वसनीय नहीं रह जाता | अतः लीज रेन्ट रजिस्टर को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाये|

6 **मण्डी समिति की दुकानों के किराये के अभिलेख से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-**

(क) दुकानों से किराये की ₹31.78 लाख की राशि की वसूली न करना:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-"च"}** के अनुसार निम्नतालिका में दर्शाई गए मार्किट यार्डों से दिनांक 31.03.2019 को रेन्ट की **₹31,78,208/-** की राशी वसूली हेतु शेष थी परन्तु उक्त से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त राशी की अंकेक्षण सम्बन्धित जांच नहीं की जा सकी | अतः अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशी की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाये|

Name of Market Yard/ SMY/TM/Check Post	**Amount of rent receivable as on 01.04.18**	**Amount of rent due during the year**	**Total amount due during the year**	**Rent received during the year**	**Amount of Rent due/ outstanding on 31.03.19**
TM, Parwanoo	1859196/-	5138957/-	6998153/-	4029967/-	2968186/-
Chakki Ka Mor	146545/-	174054/-	320599/-	148032/-	172567/-
SMY, Dharampur	(-)21766/-	347861/-	326095/-	317786/-	8309/-
SMY, Banalgi	32032/-	12114/-	44146/-	15000/-	29146/-
Total:-	**20,16,007/-**	**56,72,986/-**	**76,88,993/-**	**45,10,785/-**	**31,78,208/-**

(ख) दुकानों के किराये की 31.03.2019 को शेष राशी की सूची प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी मण्डी समिति द्वारा निम्नलालिका में दर्शाए गए मार्किट यार्डो में आबंटित दुकानों के किराये की 31.03.2019 की शेष राशि की सूचि प्रस्तुत नहीं की गई I अतः उक्त सूचना शीघ्र अति शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

(i). मुख्य मण्डी सोलन व् सपरून

(ii). सब मार्किट यार्ड, नालागढ़

(iii). सब मार्किट यार्ड, रामशहर

(iv). सब मार्किट यार्ड, अर्की .

(v). सब मार्किट यार्ड, कुनिहार

(vi). सब मार्किट यार्ड, कंडाघाट

(vii) सब मार्किट यार्ड, वाकनाघाट

(viii). सब मार्किट यार्ड, राजगढ़

7 **मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों/गोदामों की प्रतिभूति राशि का विवरण तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना:-**

अंकेक्षण द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2018-19 में विभिन्न दुकानों/गोदामों की प्रतिभूति के रूप में बकाया राशी तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण प्रतिभूति राशि की कुल देयता तथा सत्यता बारे जांच नहीं की जा सकी| उक्त बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्यां 9 पर भी आपत्ति दर्ज की गई थी जिस बारे अभी तक अंकेक्षण को अवगत नहीं किया गया है | अतः उक्त सूचना को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उसे सम्बन्धित अभिलेख सहित आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये|

8 **अग्रिम:-**

(क) ₹6.06 लाख की अग्रिम राशि का समायोजन न करना:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना **{परिशिष्ट-"छ"}** के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को मण्डी समिति के विभिन्न कर्मचारियों के नाम ₹606000/- की राशि पिछले कई वर्षों से असमायोजित चल

रही है जिससे यह प्रतीत होता है की मण्डी समिति द्वारा उक्त राशि के समायोजन बारे नियमानुसार कोई भी प्रयास नहीं किये जाये रहे हैं जोकि एक गम्भीर अनियमितता है| अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन राशियों का शीघ्र समायोजन करवाना सुनिश्चित किया जाए|

(ख) डिपोजिट वर्क्स के लिए जमा करवाए गए ₹509.50 लाख की राशि की सूची तथा उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण द्वारा बार-2 आग्रह करने के बावजूद भी मण्डी समिति द्वारा डिपाजिट वर्क्स से लिए आहरित अग्रिम की असमायोजित राशि की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| अंकेक्षण के पास उपलब्ध अभिलेख **(Monthly Progress Report)** के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को निम्न विवरणानुसार **₹5,09,50,831/-** की राशि हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड तथा अन्य विभागों के पास पिछले कई वर्षों से असमायोजित पड़ी है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त राशि के समायोजन बारे कार्यालय स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किया गया है | अतः उक्त राशियों के **उपयोगिता/कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र** सम्बन्धित विभागों से शीघ्र प्राप्त करके लम्बे समय से असमायोजित चल रही इन राशियों का समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए तथा इन राशियों के समर्थन में विपणन बोर्ड द्वारा जारी मिलान पत्र भी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएँ|

संस्थान जिसे राशि डिपोजिट वर्क के रूप में दी गई थी	**असमायोजित राशि**
H P State Marketing Board, Khalini, Shimla	4,55,84,486/-
Irrigation and Public Health Department	3,57,700/-
H.P.S.E.B, Electrical Division, Parwanoo	7,91,350/-
Executive Engineer HIMUDA, Parwanoo	4,03,800/-
AE, Electrical, Sub-Division-III, Solan.	2,65,020/-
AE, Electricity Department, Parwanoo.	14,24,930/-
AE Electrical, Sub. Division HPSEB, Kandaghat	7,66,400/-
AE Electrical, H.P.S.E.B, Ltd.- 1 Nalagarh	13,57,145/-
Grand Total	**5,09,50,831/-**

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:19 दिनांक 23/02/2022 पैरा संख्यां 4 से 8 तक}

9 पूर्वकिंक्षण के लिए प्रस्तुत बिलों में से की गई ₹1.32 लाख की कटौतियां:-

मण्डी समिति सोलन द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्वकिंक्षण हेतु प्रस्तुत विभिन्न बिलों के अंकेक्षण के दौरान **₹1,32,028/-** कटौतियां की गई है| अंकेक्षण द्वारा की गई उक्त कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व उनमें पाई गई अनियमितताओं के बारे में मण्डी समिति को अवगत करवाकर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही बिलों को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने को कहा गया है जिससे लाखों रूपए के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वितीय हानि को रोका गया है| इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वितीय मामलों में मण्डी समिति के अधिकारियों व् कर्मचारियों का समय-2 पर सही मार्गदर्शन भी किया गया है|

10 मण्डी शुल्क की ₹0.42 लाख की कम वसूली करना:-

मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की जाँच के दौरान पाया गया की विभिन्न कारोबारियों/कमीशन एजेंटों से निम्नतालिकानुसार **₹41,640/-** की मण्डी शुल्क की कम वसूली की गई जिसे अब उक्त कारोबारियों से हिमाचल प्रदेश कृषि एंव औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 37(8) के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना राशि सहित वसूल करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

Date/Period of sale/purchase of agriculture produce	**M/O form Number**	**Market fees to be realized**	**Market fees realized**	**Market fees less realized**
Name of Commission Agent:-M/S DPC-47 Solan				
20.08.2014	0048484	8320/-	------	8320/-
05.08.2016	370573	3259/-	------	3259/-
				11579/-
Name of Commission Agent:-M/S SSC-52, Solan				
01.06.2016	382036	22685/-	10657/-	12028/-
01.08.2016	382035	13353/-	------	13353/-
				25381/-

Name of Commission Agent:-M/S Shimla Sirmour Fruit and Vegetable -30, Solan				
31.08.16 to 01.09.16	367289	1775/-	728/-	1047/-
16.08.2017	393210	15030/-	13895/-	1135/-
				2182/-
Name of Commission Agent:-M/S Maa Tikkar Fruit Coy, Solan (MTC)				
09.08.2014	0025939	2000/-	200/-	1800/-
19.08.2015	370608	155/-	115/-	40/-
22.07.2016	370617	743/-	693/-	50/-
14.08.2016	370624	450/-	45/-	405/-
16.08.2016	370626	470/-	441/-	29/-
30.08.2016	370632	859/-	783/-	76/-
28.02.2017	370645	1976/-	1926/-	50/-
11.09.2017	370665	659/-	632/-	27/-
11.09.2017	370665	581/-	560/-	21/-
				2498/-
Total:-{11579+25381+2182+2498}				**41,640/-**

(अधियाचना संख्यां: 13 दिनांक 11/02/2019 तथा 15 दिनांक 27/02/2019)

11 मण्डी शुल्क की जाँच हेतु सम्बन्धित अभिलेख "Q" फार्म प्रस्तुत न करना:-

मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की जाँच के दौरान अंकेक्षण द्वारा लिखित व् मौखिक रूप से अनुरोध के बावजूद भी निम्न्तालिका में दर्शाए गए कमीशन एजेंटो द्वारा उनके सामने दर्शायी गई अवधि से से सम्बन्धित "Q" फार्म अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है की इन कारोबारिओं द्वारा मण्डी समिति के नियमानुसार वांछित अभिलेख तैयार नहीं किये गए थे उक्त अभिलेख के आभाव में उक्त कारोबारिओं से देय/प्राप्त मण्डी शुल्क की सत्यता बारे जाँच नहीं की जा सकी अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

Sr.No.	Name of firm	Period for which "Q" forms not submitted	Amount of Market fess realized
1	M/S Shimla Sirmour Fruit & Veg. Shop No-30 Solan	02.11.2014 to 31.08.2017	16,51,777/-
2	M/S Maa Tikker Fruit Co.(MTC), Solan.	25.07.2014 to 29.09.2017	6,27,109/-

(अधियाचना संख्यां: 13 दिनांक 11/02/2019)

12 मण्डी शुल्क की नियमानुसार समय पर वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को हो रही वितीय हानि बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मण्डी समिति में मण्डी शुल्क की आय को देरी से जमा करवाया जा रहा है जोकि हिमाचल प्रदेश कृषि एंव औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 45(2) के प्रावधानों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है जबकि उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार:-

"On the agricultural produce brought in the market area for the commercial transaction or for processing the market fee shall be deposited by the buyer or processor, as case may be, in the office of the market committee, within fourteen days but before the sale or resale or processing or export outside the market area of such agricultural produce."

परन्तु मण्डी समिति में मण्डी शुल्क उपरोक्त नियमानुसार जमा नहीं करवाया जा रहा है उक्त अनियमितता से सम्बन्धित कुछ उदाहरण परिशिष्ट- में दिए गए है अतः नियम 45(3) में प्रावधित प्रावधानों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में मण्डी शुल्क की वसूली करते समय उक्त नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए |

Period of sale/ purchase of agriculture produce	Market fees realized	Receipt No. and Date
Name of Commission Agent: M/S Shimla Sirmour Fruit and Vegetable -30		
21.05.15 to 20.06.15	1961/-	0208844 dated 06.07.2015
01.07.15 to 14.07.15	9931/-	0179002 dated 06.08.2015
01.08.15 to 10.08.15	154085/-	0179096 dated 24.08.2015
01.09.15 to 15.09.15	103647/-	0179277 dated 07.10.2015
.01.10.15 to 18.10.15	52481/-	0179923 dated 26.11.2015
01.06.16 to 15.07.16	19547/-	0049612 dated 03.08.2016
Name of Commission Agent:-M/S Tikker Fruit Co. Solan		
25.07.14 to 28.09.14	12160/-	0168706 dated 10.11.2014
04.08.15 to 06.10.15	133657/-	0195032 dated 13.07.2016
Name of Commission Agent:-M/S DPC-47 Solan		
06.10.14 to 27.10.14	50746/-	0168737 dated 17.11.2014
23.07.15 to 07.08.15	265607/-	0179093 dated 22.08.2015
10.08.15 to 21.08.15	466310/-	0179170 dated 08.09.2015
22.08.15 to 31.08.15	304258/-	0179249 dated 26.09.2015
01.09.15 to 17.09.15	359147/-	0179537 dated 19.10.2015

(अधियाचना संख्यां: 13 दिनांक 11/02/2019 तथा 15 दिनांक 27/02/2019)

13 हिमाचल प्रदेश वितीय नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों की अवहेलना करके ₹0.24 लाख का अनियमित भुगतान:-

अग्रिम बिल संख्यां 09 दिनांक 07.04.2018 ₹20000/- जोकि श्री अमर सिंह मण्डी पर्यवेक्षक नालागढ़ को गेंहू साफ़ करने की मशीनों की मुरम्मत करवाने हेतु दिया गया था तथा जिस कार्य हेतु ₹24040/- का व्यय करके उसका समायोजन बिल संख्या 48 दिनांक 25.04.2018 द्वारा पूर्वकिंक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया| उक्त समायोजन बिल के पूर्वकिंक्षण में निम्नलिखित त्रुटियाँ/अंकेक्षण आपत्तियां पाई गई थी जिनका अभी तक अंकेक्षण को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया ;

(क) गेहूं साफ़ करने की मशीन की मुरम्मत का कार्य दिनांक 23.04.2018 को करवाया गया था जोकि श्री संतोख रोलिंग शटर, नालागढ़ के कैश/क्रेडिट मेमो संख्यां 182 दिनांक 23.04.2018 **₹16040/-** तथा श्री केशव दत्त शर्मा के कैश/क्रेडिट मेमो संख्यां: 24 दिनांक 23.04.2016 **₹8000/-** से स्वतः ही स्पष्ट है तथा उक्त कार्य हेतु **₹20,000/-** की अग्रिम राशी का आहरण बिल संख्यां 48 दिनांक 25.04.2018 द्वारा पारित करवाकर चेक संख्यां 642994 द्वारा दिनांक 29.04.2018 को बैंक से आहरण किया गया था, जबकि समायोजन बिल के साथ संलग्न उपरोक्त कैश/क्रेडिट मेमो पर प्रमाणित किया गया था कि उक्त राशि का भुगतान अग्रिम राशि से किया गया है जोकि कार्य करवाने की तिथि दिनांक 23.04.2018 से 6 दिन उपरान्त दिनांक 29.04.2018 को अग्रिम द्वारा आहरण/प्राप्त राशि से किया जाना तर्कसंगत था | अतः सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा झूठी सूचना प्रस्तुत करके पहले ही पूर्ण कर लिए गए कार्य हेतु राशि को अग्रिम अग्रिम के रूप में आहरण करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उचित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ख) उपरोक्त कार्य को करवाने हेतु पूर्ण की गई औपचारिकतायें भी निम्नलिखित त्रुटियों/आपत्तियों के आधार पर सन्देहजनक प्रतीत होती है;

(i). निविदाएँ एकत्रित करने हेतु गठित की गई समिति के कार्यालय आदेश पर न तो प्रेषण संख्यां और न ही उसे जारी करने की तिथि अंकित की गयी थी, जिससे प्रतीत होता है कि नियमो की अवहेलना करते हुए कागज पूरे करने के उद्देश्य से उक्त कार्यालय आदेश बाद में तैयार किया गया था|

(ii). निविदाएँ बंद लिफाफों में न मंगवाकर खुली ही एकत्रित की गयी थी जोकि नियमानुसार अनुचित है|

(iii). निविदाएँ मंगवाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (NIQ) जारी नहीं की गई जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया की निविदाएँ किस तिथि त मांगी गयी थी तथा किस तिथि को समिति द्वारा खोली जानी थी न ही निविदाओं के तुलनात्मक विवरण पर उसे तैयार करने की तिथि अंकित नहीं की गयी थी|

(iv). न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी नहीं किया गया था|

अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते समय हिमाचल प्रदेश वितीय नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना की गयी थी |

(ग) मशीन की मुरम्मत के उपरान्त किसी भी तकनिकी प्राधिकारी अथवा उक्त कार्य हेतु गठित समिति द्वारा मुरम्मत कार्य संतोषजनक पाए जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा न ही बदले गए पुराने कलपुर्जों को "Dead Stock Register" में इन्द्राज किया गया था|

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त कार्य पर किये गए समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये|

{अधियाचना संख्यां: 1 दिनांक 26.05.2018}

14 विज्ञापन में गलत सूचना प्रकाशित करवाने के कारण मण्डी समिति कोष से ₹0.06 लाख का अनुचित भुगतान:-

बिल संख्यां 81 दिनांक 15.05.18 **₹3062/-** तथा बिल संख्यां 82 दिनांक 15.05.18 **₹3185/-** जोकि मुख्य मण्डी सोलन व् उप मण्डी धर्मपुर की कैन्टीन को वर्ष 2018-19 में मासिक किराये पर देने बारे दिनांक 13.03.2018 को दो दैनिक अखबारों पंजाब केसरी तथा दिव्य हिमाचल में निविदा सूचना प्रकाशित करने से सम्बन्धित थे | उक्त बिलों के पूर्वाकेंक्षण में पाया गया कि विज्ञापन में गलत सूचना के प्रकाशन करने के कारण इसी कार्य की निविदा सूचना का शुद्धि पत्र दिनांक 17.03.2018 को इन्हीं दो अख़बारों में पुनः प्रकाशित करवाना पड़ा|

अतः सूचना के गलत प्रकाशन के कारण मण्डी समिति को कोष से **₹6247/-**{3185+3062} का अनुचित भुगतान हुआ जिसे या तो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये अन्यथा उक्त गलत सूचना प्रकाशित करवाने बारे जवाबदेही निर्धारित करके उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये|

{अधियाचना संख्यां: 5 दिनांक 09.08.2018}

15 सरकारी वाहन HP-12A-0006 का सही ढंग से उपयोग न करना:-

(क) मण्डी समिति सोलन के वाहन संख्यां HP-12A-0006 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया की उक्त वाहन से यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निम्न तालिका में दर्शायी गयी यात्राओं के उदेश्य का विवरण लोग बुक के सम्बन्धित कॉलम में नहीं भरा/दर्शाया गया था जिसकी अनुपस्थिति में की गई **{13654km}** की यात्रा सरकारी वाहन के उपयोग से सम्बन्धित सरकार समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सही थी अथवा नहीं इस बारे टिप्पणी नहीं की जा सकती | उक्त बारे पेट्रोल की प्रविष्टियों के सत्यापन जाँच समय भी मौखित रूप अवगत करवाया गया था परन्तु उक्त कॉलम को अंकेक्षण अधियाचना जारी करने तक नहीं भरा गया था | अतः निम्नतालिकानुसार दर्शाई गई यात्राओं के उद्देश्य को अब सम्बन्धित कॉलम में भरकर अंकेक्षण को दर्शाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही जो यात्रायें सरकारी वाहन के उपयोग से सम्बन्धित दिशा-

निर्देशों के अनुसार नहीं पाई जाती हैं उनकी उचित स्त्रोत से नियमानुसार वसूली करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

Sr. No.	**Date**	**Distance Travelled (Km)**	**Places Travelled**	**Officer/Official Travelled**
1	06.05.2016	33	Solan to Kandaghat	Chairman
2	07.05.2016	52	Solan to Kandaghat	Chairman
3	08.05.2016	58	Solan to Kandaghat	Chairman
4	20.05.2016	11	Solan Local	Bias Dev
5	13.06.2016	56	Solan to Kandaghat	Chairman
6	14.06.2016	98	Solan to Parwanoo	Chairman
7	17.06.2016	42	Solan to Kandaghat	Chairman
8	21.06.2016	107	Solan to Parwanoo	Chairman and MS
9	01.07.2016	29	Solan Local	Chairman
10	05.07.2016	32	Solan Local	Chairman
11	30.08.2016	146	Solan to Zirakpur	Chairman
12	31.08.2016	11	Solan Local	Chairman
13	03.10.2016	58	Solan to Waknaghat	Chairman
14	27.10.2016	39	Solan to Kandaghat	Chairman
15	27.10.2016	86	Solan to Parwanoo	Chairman
16	09.11.2016	32	Solan to Kandaghat	Chairman
17	19.11.2016	106	Solan to Kandaghat, Dharampur Pinegrove School	Chairman
18	20.11.2016	114	Solan to Kandaghat, Dharampur Pinegrove School	Chairman
19	21.11.2016	91	Solan to Waknaghat Shimla	Secretary APMC
20	22.11.2016	282	Solan to Paonta Sahib	Secretary APMC
21	08.12.2016	93	Parwanoo & back	Chairman

22	13.12.2016	82	Dharampur Pawanoo Kalka Nalagarh	MS, AAR
23	14.12.2016	84	Nalagarh to Baddi	MS, AAR
24	15.12.2016	72	Nalagarh to Baddi	MS, AAR
26	15.12.2016	82	Baddi to Solan	MS, AAR
27	16.12.2016	39	Solan to kandaghat	Chairman
28	17.12.2016	112	Solan to Shimla	Chairman
29	27.12.2016	102	Solan to Shimla	Secretary APMC
30	11.01.2017	113	Solan to Shimla	Chairman
31	16.01.2017	107	Solan to Parwanoo	MS
32	19.01.2017	105	Solan to Shimla	Chairman
33	23.01.2017	132	Solan to Shimla	Chairman
34	24.01.2017	112	Solan to Shimla	Chairman
35	26.01.2017	36	Solan to Kandaghat	Chairman
36	01.02.2017 to 06.02.2017	629	Patta, Baddi, Parwanoo, Waknaghat Shimla, Chail, Solan Local	Chairman
37	07.02.2017	146	Patta Brori	Chairman
38	08.02.2017	36	Solan to Kandaghat	Chairman
40	11.02.2017	39	Kumarhatti Snowview	Driver
41	13.02.2017	196	Arki Darlaghat	Chairman
43	14.02.2017 to 28.02.2017	1630	Kandaghat, Dharampur Kasauli, Nahan, Moginand,, Sadhupul, Nauni Gaura etc.	Chairman
44	01.03.2017	129	Solan to Kandaghat Chail	Sh. Ramesh
45	07.03.2017	97	Solan to Parwanoo	Chairman
46	08.03.2017	59	Solan to Shilli Mashivar	Chairman
47	08.03.2017 to 31.03.2017	1800	Kumarhatti, Sadhupul, Waknaghat, Deothi, Jagjeetnagar, parwanoo, Nahan Shimla, Kandaghat,	Driver

			Subathu, Dharampur etc.	
48	10.04.2017	79	Kandaghat, Dharampur	Chairman
49	11.04.2017	104	Sola to Shimla	Chairman
50	13.04.2017	8	Solan Local	Driver
51	14.04.2017	84	Kandaghat Kyarikot	Chairman
52	15.04.2017	118	Mamleeg	Chairman
53	17.04.2017	112	Waknaghat Paplol	Driver
54	18.04.2017	139	Rajgarh Neripul	Chairman
55	22.04.2017 to 30.04.2017	972	Different places as per log book page No.110	Chairman
56	01.05.2017	37	Solan to Kandaghat	Chairman
57	02.05.2017	127	Solan to Mamleeg	Chairman
58	08.05.2017	365	Kandaghat Durgapur	Chairman
59	17.05.2017	36	Solan to Kandaghat	Driver
60	18.05.2017	32	Solan to Kandaghat	Driver
61	02.06.2017	113	Solan to Shimla	Chairman
62	05.06.2017	109	Solan to Shimla	Chairman
63	14.06.2017	59	Solan to Waknaghat	Chairman
64	15.06.2017	23	Solan Local	Sh. Ramesh
65	19.06.2017	112	Solan to Shimla	Chairman
66	20.06.2017	111	Solan to Shimla	Chairman
67	21.06.2017	112	Solan to Shimla	Chairman
68	23.06.2017	118	Solan to Shimla	Chairman
69	24.06.2017	113	Solan to Shimla	Chairman
70	29.06.2017	112	Shimla Sadhupul	Chairman
71	30.06.2017	122	Shimla Sadhupul	Chairman
72	05.07.2017	108	Solan to Shimla	Chairman
73	06.07.2017	109	Solan to Shimla	Chairman
74	14.07.2017	121	Dharampur Parwanoo kandaghat	Chairman
75	02.08.2071	93	Kandaghat kumar hatti	Chairman

76	13.08.2017	137	Chail Ashwani khadd	Chairman
77	22.08.2017	127	Solan to Shimla	Chairman
78	29.08.2017	113	Solan to Shimla	Chairman
79	01.10.2017 to 14.10.2017	1317	Different places as per log book page No.130 to 132	Chairman
80	24.11.2017	144	Kunihar Arki Shalaghat	Secretary APMC
81	02.12.2017	22	Solan Local	Sh. Ramesh
82	27.07.2018	124	Solan to Shimla	Secretary APMC
83	23.10.2018	91	Giripul Rajgarh	Chairman/Secretary
84	01.11.2018	67	Solan to Subathu	Chairman/Secretary
85	12.11.2018	109	Solan to Shimla	Chairman/Secretary
86	22.11.2018	103	Solan to Shimla	Secretary APMC
87	10.12.2018	37	Solan Deothi	Staff
Total		**13654**		

(ख) सरकारी वाहन HP12A-0006 की लोग बुक की जांच करने पर पाया गया की उक्त वाहन का उपयोग करते समय हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र संख्यां: HMB/OS(2)-13/96-2254 दिनांक 07.03.2007 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है जोकि निम्न तालिका में दर्शाए गए विवरणानुसार स्वतः ही स्पष्ट है | अतः उक्त बारे उपरोक्त पत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अवधि के दौरान {7654KM} के सम्बन्ध में मण्डी समिति को हुई हानि की नियमानुसार गणना करके उसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये|

Date	Distance Travelled (Km)	Purpose of Journey mentioned in the Log book
13.04.2015	236	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
11.05.2015	58	Chaiman & Members brought to the APMC office, Solan
11.05.2015	57	Back Journey

12.05.2015	116	Chaiman & Members brought to APMC, Solan & back
16.05.2015	106	Chaiman & Members brought to APMC, Solan & back
26.06.2015	158	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
09.07.2015	183	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
03.08.2015	41	After meeting up to hotel for meal
04.08.2015	89	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
19.08.2015	127	For attending meeting with CM at Shimla
28.11.2015	115	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
28.01.2016	124	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
05.02.2016	106	For attending meeting with CM at Shimla
08.02.2016	43	To brought Secretary APMC from Railway station
28.03.2016	76	To left out Secretary at Kalka Railway Station
28.03.2016	130	brought Secretary from Railway station to Solan
18.06.2016	114	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
06.07.2016	46	To bring the Chairman to APMC Solan
15.07.2016	48	To bring the Chairman to APMC Solan
16.07.2016	51	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
21.07.2016	37	To bring the Chairman to APMC Solan
23.07.2016	38	To bring the Chairman to APMC Solan
27.07.2016	36	To bring the Chairman to APMC Solan
06.08.2016	38	To bring the Chairman to APMC Solan
09.08.2016	42	To bring the Chairman to APMC Solan

17.08.2016	117	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
19.08.2016	76	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
22.08.2016	122	To drop Chairman at Railway station
23.03.2017	57	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
7-09.04.17	341	Attended tour programme of CM, HP. at Paonta sahib
04.05.2017	143	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
03.06.2017	38	To bring the Chairman to APMC Solan
08.06.2017	95	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
13.06.2017	39	To bring the Chairman to APMC Solan
22.06.2017	98	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
04.07.2017	33	To bring the Chairman to APMC Solan
12.07.2017	247	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
01.08.2017	82	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
17.08.2017	121	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
20.08.2017	37	To attend opening ceremony of tournament at Kandaghat
21.08.2017	67	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
24.08.2017	37	To bring the Chairman to APMC Solan
26.08.2017	109	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil

28.08.2017	76	To bring the Chairman to APMC Solan
30.08.2017	123	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
31.08.2017	131	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
01.09.2017	126	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
12.09.2017	147	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
16.09.2017	156	To attend Saayar Mela Arki
20.09.2017	146	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
22.09.2017	57	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
24.09.2017	56	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
27.09.2017	107	To attend tour programme of Minister Dhani Ram Shandil
17.06.2018	219	To attend tour programme of Agriculture minister of HP
13.07.2018	108	To attend tour programme of Rajeev Sehjal
16.07.2018	117	To go to Chief Ministers office at Shimla
17.07.2017	187	To attend tour programme of Agriculture minister of HP.
19.07.2017	171	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
21.07.2018	15	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
25.07.2018	253	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
04.08.2018	15	To attend tour programme of Minister Rajeev

		Sehjal
06.08.2018	29	To bring the Chairman to APMC Solan
10.08.2018	126	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
11.08.2018	57	To attend meeting with minister Rajeev Sehjal
25.08.2018	103	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
28.08.2018	166	For attending kalash Yatra
03.09.2018	210	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
07.09.2018	103	To attend party meeting at Parwanoo
12.09.2018	109	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
18.09.2018	105	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
20.09.2018	103	To attend Party meeting at Shimla
24.09.2018	104	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
28.09.2018	19	To attend programme at thodo ground
19.12.2018	99	To attend tour programme of Minister Rajeev Sehjal
23.12.2018	37	For Attending the tour programme of Chief Minister of HP
Toal	**7654**	

{अधियाचना संख्यां: 12 दिनांक 02.02.2019}

16 सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा वित् विभाग की सहमति (Concurrence) के बिना e-Nam स्कीम में कर्मचारियों को आउटसोर्स के आधार पर कार्य पर रखना:-

बिल संख्यां 147 दिनांक 18.06.2018 ₹1,14,003/- जोकि e-Nam स्कीम में मेसर्स शिमला क्लीनवेज़ से आउटसोर्स के आधार रखे गए 2 लैब असिस्टेंट तथा 4 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स के

माह् 04/2018 व् 05/2018 के मानदेय से सम्बन्धित था के अंकेक्षण में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा उक्त पदों पर सेवाएं आउटसोर्स करने से पूर्व न तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था और न ही वित् विभाग की सहमति (Concurrence) प्राप्त की गई थी| जबकि वित् विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार (Expenditure Control-II) के पत्र संख्यां: Fin-F-(A)-(11)-11/2004 दिनांक 05.08.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की सेवाओं को आउटसोर्स करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन तथा वित् विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य था| अतः उपरोक्त भुगतान को अंकेक्षण में इस शर्त के साथ पारित किया गया की e-Nam स्कीम में रखे गए 2 लैब असिस्टेंट तथा 4 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स की सेवाओं को आउटसोर्स करने बारे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन तथा वित् विभाग की सहमति प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये, साथ ही भारत सरकार द्वारा e-Nam स्कीम हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रति भी अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये ताकि आउटसोर्स की गई men power का उक्त स्कीम हेतु स्वीकृत कुल पद/men power बारे सत्यापन किया जा सके |

{अधियाचना संख्यां: 09 दिनांक 06.12.2018}

17 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करके ₹0.50 लाख का अनियमित व्यय:-

बिल संख्यां 584 दिनांक 04.01.2017 द्वारा उप मण्डी राजगढ़ में राष्ट्रिय कृषि बाज़ार योजना के अंतर्गत दो किसान जागरूकता शिविर {₹25000/- प्रति कैंप} लगाने हेतु श्री हेम राज सहायक नीलामी कर्ता को ₹**50,000/-** की राशि अग्रिम के रूप में दी गई थी | उक्त अग्रिम राशी का समायोजन बिल संख्यां 779 दिनांक 15.03.2018 द्वारा पूर्वकेंक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया तथा जिसके अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई ;

(i) प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्यां:HMB(G)2-27/2016-9452 दिनांक 03.12.2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना के अंतर्गत कुल 100 किसानों हेतु ₹250/- प्रति किसान/भागीदार के हिसाब से प्रत्येक कैंप पर कुल ₹25000/- खर्च करने का प्रावधान था, जबकि अग्रिम धारक द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करके अग्रिम राशि को एक जागरूकता शिविर के आयोजन पर खर्च किया गया था|

(ii) जागरूकता शिविर का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना दिनांक 10.01.2017 के स्थान पर दिनांक 26.04.2017 को किया गया था|

(iii) अग्रिम धारक द्वारा अग्रिम की राशी का आहरण जागरूकता शिविर के आयोजन की तिथि 26.04.2017 के स्थान पर दिनांक 13.01.2017 को करके **₹50,000/-** की राशि को कृषि उपज मण्डी समिति के कोष से **{104 दिन} बाहर** अपनी निजी जेब में रखा गया है जोकि हिमाचल प्रदेश वितीय नियमो के अनुसार सरकारी धन राशि के उपयोग एवं रख-रखाव से सम्बन्धित प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है|

(iv) प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्यां:HMB(G)2-27/2016-9452 दिनांक 03.12.2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जागरूकता शिविर में आने वाले किसानो/भागीदारों को वास्तविक किराये के भुगतान करने का प्रावधान/अपेक्षित था जबकि समायोजन बिल के अनुसार आयोजकों द्वारा प्रतिभागियों को किराये का भुगतान नहीं किया था|

अतः प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करके किये गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा सरकारी धन को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा 104 दिनों तक अपनी निजी जेब में रखने बारे नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

{अधियाचना संख्यां: 04 दिनांक 27.06.2018}

18 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उप मण्डी राजगढ़ में सफाई ठेकेदार को रात्री चौकीदार का कार्य दिया जाना:-

बिल संख्यां 247 दिनांक 21.07.2018 जोकि उप मण्डी राजगढ़ में अवधि 16.06.18 से 31.07.18 के सफाई कार्य के भुगतान से सम्बन्धित था के अंकेक्षण में पाया गया की उक्त कार्य न्यूनतम निविदाओं के आधार पर श्री अजय शर्मा सफाई ठेकेदार को प्रदान किया गया था तथा कार्य आदेश संख्यां: SMC/2-90/2002-484 दिनांक 13.06.2018 व् इकरारनामे के अनुसार सफाई ठेकेदार को रात्री चौकीदार का कार्य भी आबंटित किया गया था | लेखा परीक्षा में उक्त कार्य को इस प्रकार आबंटन करने बारे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रस्तुत करने को कहा गया तो अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की उक्त कार्य की औपचारित्ताओं को पूर्ण करने हेतु गठित की गई सफाई

आबंटन समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करके उपरोत आबंटन आदेश जारी किये गए थे| अतः लेखा परीक्षा के मतानुसार निम्नलिखित तथ्यों बारे स्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित किया जाये;

(i). सफाई आबंटन समिति द्वारा सफाई ठेकेदार को रात्री चौकीदार का कार्य आबंटित के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई शक्तियों की प्रति उपलब्ध करवाई जाये|

(ii). हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की अधिसूचना संख्यां :HMB-(B)6-1/97-Vol.-5-11874 से 11887 दिनांक 7 मार्च 2017 द्वारा मण्डी समिति सोलन को चपड़ासी व् चौकीदार श्रेणी के सृजित कुल 9 पदों में से एक पद उप मण्डी राजगढ़ के लिए सृजित था तथा कार्यालय अभिलेखानुसार भरा गया था | अतः उक्त पद पर तैनात कर्मचारी से उप मण्डी राजगढ़ की देखभाल/चोकिदारी का कार्य क्यूँ नहीं लिया जा रहा है |

(iii). सफाई ठेकेदार से रात्री चौकीदार की ड्यूटी के दौरान यदि कोई चोरी/दुर्घटना या कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सफाई ठेकेदार के क्या दायित्व निर्धारित किये गए हैं|

अतः उपरोक्त अंकेक्षण आपत्तियों के मध्यनजर सफाई कार्य के बिल के भुगतान को सशर्त पारित किया गया जिस बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये|

{अधियाचना संख्यां: 09 दिनांक 04.09.2018}

19 बिना बजट प्रावधान के सेवा कर पर ₹3.32 लाख की राशी का भुगतान:-

बिल संख्यां 651 दिनांक 08.02.2019 **₹3,32,910/-** जोकि अवधि 04/2012 से 21.11.2014 तक के सेवा कर को समय पर जमा न करने के कारण मण्डी समिति को सम्बन्धित विभाग को ब्याज के रूप में भुगतान से सम्बन्धित था के अंकेक्षण में पाया गया की वर्ष 2018-19 के अनुमोदित बजट के अनुसार ब्याज के भुगतान हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं था अतः हिमाचल प्रदेश सरकार (वित् विभाग) के पत्र संख्यां FIN-F-(11)-11/2004 03.06.2014 के SOE(16)(VII)(A) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी/प्रशासनिक सचिव से स्वीकृति प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

{अधियाचना संख्यां: 14 दिनांक 22.02.2019}

20 बिना बजट प्रावधान के ₹29.73 के अनियमित व्यय बारे-:

मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गए बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नतालिका में दर्शाए गए निर्माण कार्यों हेतु वितीय वर्ष 2018-19 के अनुमोदित बजट के अनुसार उक्त व्यय/कार्यों हेतु कोई भी बजट प्रावधान नहीं था| अंकेक्षण द्वारा आपत्ति दर्ज करके उक्त तथ्य को मण्डी समिति के ध्यान में लाया गया था परन्तु उक्त बिलों को अंकेक्षण के समक्ष इस उत्तर के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया की उक्त भुगतान तुरन्त किया जाना आवश्यक है तथा उक्त कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी से बजट प्रावधान करवा लिया जायेगा| अतः भुगतान की आवश्यकता को देखते हुए उक्त बिलों को अंकेक्षण में सक्षम प्राधिकारी से इन कार्यों हेतु बजट आबंटित/अनुमोदित करवाने की शर्त पर पारित कर दिया गया था परन्तु इस बारे में की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अभी तक अवगत नहीं करवाया गया| अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए|

क्रमांक	अंकेक्षण अधियाचना संख्या/दिनांक	बिल संख्यां/ दिनांक	व्यय की राशि	कार्य/व्यय का विवरण
1.	02/29.05.18	05/06.04.18	120086/-	Drinking water pedestal at TM Parwanoo.
			135800/-	C/O E-bid at TM Parwanoo.
			259724/-	Provision of Aluminium glazing in the balcony in the set No.7 at RM yard Solan.
			2457905/-	Providing and laying interlocking concrete block pavement at TM| Parwanoo.
			2973515/-	

{अधियाचना संख्यां: 2 दिनांक 29.05.2018}

21 मण्डी समिति की आय को बैंक खातों में जमा न करना:-

(क) मण्डी समिति सोलन की उप मण्डी राजगढ़ की अवधि 05/2017 से 04/2018 के दौरान मण्डी शुल्क से प्राप्त आय को रसीद बुक्स से दैनिक प्राप्ति रजिस्टर व् बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि रसीद संख्यां 220801 दिनांक 12.06.2017 द्वारा मेस्सेर्स रंजोत सिंह ठाकुर राजगढ़ से चेक संख्यां 512917 दिनांक 12.06.2017 के माध्यम से प्राप्त/जमा करवाये गए **₹51070/-** के मण्डी शुल्क की राशि मण्डी समिति के बैंक खातों में जमा नहीं पाई गयी जिससे प्रतीत होता है कि उक्त राशि मण्डी समिति के खाते में जमा ही नहीं करवाई गयी थी | अतः उक्त बारे लेखों की जांच करके स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति के कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाये|

(ख) मण्डी समिति सोलन की उप मण्डी अर्की के अन्तर्गत टिम्बर व्यापारी मेस्सेर्स हरी राम एन्ड सन्स, शालाघाट से रसीद संख्यां 0071158 दिनांक 16.03.2017 द्वारा टिम्बर पर प्राप्त **₹2422/-** के मण्डी शुल्क की राशि मण्डी समिति के बैंक खातों में जमा नहीं पाई गयी | अतः उक्त बारे लेखों की जांच करके स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त राशि को मण्डी समिति के कोष में जमा करके अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये|

{अधियाचना संख्यां: 06 दिनांक 14.08.2018}

22 सूचना/अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

मण्डी समिति के वार्षिक लेखों के अंकेक्षण के दौरान मांगी गई निम्नलिखित सूचना व् अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण से उक्त अभिलेख का अंकेक्षण नहीं किया जा सका | अतः उक्त अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उसे अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये|

(i). मण्डी समिति की स्टोर/स्टॉक सामग्री की सूची उनकी physical verification report तथा सम्बन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई |

(ii). मण्डी समिति की 31.03.2019 को खाली पड़ी दुकाने/गोदाम के बारे में मांगी गई सूचना सम्बन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई |

(iii). मण्डी समिति के विश्राम गृह से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|

(iv). वाहन संख्यां HP12A-0006 की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित log book अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए|

(v). मण्डी समिति के कर्मचारी जोकि अंकेक्षण अवधि के दौरान अन्य मण्डियों/संस्थाओं में तैनात थे परन्तु उनका वेतन मण्डी समिति सोलन के कोष से प्रदान किया गया था इस प्रकार हुए कुल व्यय से सम्बन्धित अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई |

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:19 दिनांक 23/02/2022}

-
23 **विविध अंकेक्षण आपत्तियां/अनियमितताएं:-**

(i). बिल संख्यां 90 दिनांक 18.05.2018 ₹113165/- से ₹2263/- TDS की कटौती करके ₹110902/- के लिए पारित किया गया था परन्तु मेस्सेर्स शिमला क्लीनवेज़ को ₹110902 के भुगतान के बजाये ₹113165/- का भुगतान करके ₹**2263** का अधिक भुगतान हुआ है जिस बारे जांच करके अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाये|

(ii). बिल संख्यां 466 दिनांक 22.11.2018 द्वारा पारित ₹1500/- के टैक्सी चार्जेज का चेक संख्यां 717499 रोकड़ पृष्ठ-181 तथा चेक संख्यां 717507 रोकड़ पृष्ठ-183 दो बार आहरण किया गया है जिस बारे जांच करके अधिक आहरण की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाये|

(iii). मण्डी समिति कोष से किये जा रहे भुगतान से सम्बन्धित प्राप्तकर्ता रसीद नियमानुसार प्राप्त नहीं की जा रही है जोकि सम्बन्धित नियमों की स्पष्ट अवहेलना है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार से किये गए समस्त भुगतान की प्राप्तकर्ता रसीद प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक भुगतान की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:19 दिनांक 23/02/2022}

24 **लघु आपत्ति विवरणी:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है|

25 **निष्कर्ष:-** मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख को विहित नियमों के प्रावधानानुसार रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने, दुकानों के किराये के अभिलेख का सही ढंग से रख-रखाव करने तथा उसकी समय-समय पर वसूली करने, मण्डी समिति कोष से राशि खर्च करने से पूर्व सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवम् मण्डी समिति की निधि को संस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उसका तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख के रख-रखाव करने की नितान्त आवश्यकता है|

Sdx/-

(अनिल शर्मा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)40/76–खण्ड–13.4075–4078 दिनांकः 18.06.22
शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भवन खलीनी शिमला–171002

पंजीकृत 3. सचिव, कृषि उपज विपणन समिति सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज समिति मण्डी, हिमाचल प्रदेश को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें व तदानुसार इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4 प्रभारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज विपणन समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sdx/-

(अनिल शर्मा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट-(क) {पैरा संख्यां 1(घ) से संदर्भित}

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1985

1. पैरा 6 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1987

1. पैरा 24(बी) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989

1. पैरा 11 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1989 से 03/1991

1. पैरा 7 अनिर्णीत
2. पैरा 16 अनिर्णीत

(ड०) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1996

1. पैरा 9 अनिर्णीत
2. पैरा 14(1)(2) अनिर्णीत
3. पैरा 15(क)(ख) अनिर्णीत
4. पैरा 17 अनिर्णीत
5. पैरा 18 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1996 से 03/1999

1. पैरा 6 अनिर्णीत
2. पैरा 29(1,2,4) अनिर्णीत
3. पैरा 31 अनिर्णीत
4. पैरा 41 अनिर्णीत
5. पैरा 42 अनिर्णीत
6. पैरा 43 अनिर्णीत

7.	पैरा 44	अनिर्णीत
8.	पैरा 45	अनिर्णीत
9.	पैरा 46	अनिर्णीत
10.	पैरा 48	अनिर्णीत
11.	पैरा 53	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1999 से 03/2003

1.	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 14	अनिर्णीत
3.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा 21	अनिर्णीत
5.	पैरा 35	अनिर्णीत
6.	पैरा 41	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2005

1.	पैरा 9	अनिर्णीत
2.	पैरा 10(ख,ग)	अनिर्णीत
3.	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
4.	पैरा 17	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1.	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत
3.	पैरा 13	अनिर्णीत
4.	पैरा 14	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1.	पैरा 5	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 8	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10(ज)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1.	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6	अनिर्णीत
3.	पैरा 7	अनिर्णीत
4.	पैरा 8	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 8	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत
6.	पैरा 11	अनिर्णीत
7.	पैरा 12	अनिर्णीत
8.	पैरा 13	अनिर्णीत
9.	पैरा 14	अनिर्णीत
10.	पैरा 15	अनिर्णीत
11.	पैरा 16	अनिर्णीत
12.	पैरा 18	अनिर्णीत
13.	पैरा 20	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 12	अनिर्णीत
5.	पैरा 13	अनिर्णीत
6.	पैरा 14	अनिर्णीत
7.	पैरा 16	अनिर्णीत

8.	पैरा 17	अनिर्णीत
9.	पैरा 18	अनिर्णीत
10.	पैरा 19	अनिर्णीत
11.	पैरा 20	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011

1.	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 3(घ)	अनिर्णीत
3.	पैरा 3(च)	अनिर्णीत
4.	पैरा 3(छ)	अनिर्णीत
5.	पैरा 3(ज)	अनिर्णीत
6.	पैरा 3( )	अनिर्णीत
7.	पैरा 6	अनिर्णीत
8.	पैरा 7	अनिर्णीत
9.	पैरा 8	अनिर्णीत
10.	पैरा 9	अनिर्णीत
11.	पैरा 10	अनिर्णीत
12.	पैरा 11	अनिर्णीत
13.	पैरा 13	अनिर्णीत
14.	पैरा 15	अनिर्णीत
15.	पैरा 16	अनिर्णीत
16.	पैरा 17	अनिर्णीत
17.	पैरा 18	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत
3.	पैरा 12	अनिर्णीत
4.	पैरा 14	अनिर्णीत
5.	पैरा 17	अनिर्णीत

6. पैरा 18 अनिर्णीत

7. पैरा 19 अनिर्णीत

8. पैरा 20(क) अनिर्णीत

9. पैरा 20(ख) अनिर्णीत

10. पैरा 21 अनिर्णीत

11. पैरा 22 अनिर्णीत

12. पैरा 25 अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1. पैरा 6 अनिर्णीत

2. पैरा 7 अनिर्णीत

3. पैरा 9 अनिर्णीत

4. पैरा 11(ग) **निर्णित** (पैरे को वर्ष 2018-19 में पुनः प्रारूपित किया गया)

5. पैरा 12 अनिर्णीत

6. पैरा 13 अनिर्णीत

7. पैरा 14 अनिर्णीत

8. पैरा 15 अनिर्णीत

9. पैरा 16 अनिर्णीत

10. पैरा 17 अनिर्णीत

11. पैरा 18 अनिर्णीत

12. पैरा 19 अनिर्णीत

13. पैरा 20 अनिर्णीत

14. पैरा 21 अनिर्णीत

15. पैरा 22 अनिर्णीत

16. पैरा 24 अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014

1. पैरा 4(ख) अनिर्णीत

2.	पैरा 5	**निर्णीत**	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई)
3.	पैरा 6(क)(ख) अंकेक्षण	**निर्णीत**	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई)
4.	पैरा 9	अनिर्णीत	
5.	पैरा 10	अनिर्णीत	
6.	पैरा 11	अनिर्णीत	
7.	पैरा 12	अनिर्णीत	
8.	पैरा 13	अनिर्णीत	
9.	पैरा 14	अनिर्णीत	
10.	पैरा 15	अनिर्णीत	
11.	पैरा 16	अनिर्णीत	
12.	पैरा 17	अनिर्णीत	
13.	पैरा 18	अनिर्णीत	
14.	पैरा 19	अनिर्णीत	
15.	पैरा 20	अनिर्णीत	
16.	पैरा 21	अनिर्णीत	
17.	पैरा 22	अनिर्णीत	
18.	पैरा 23	अनिर्णीत	
19.	पैरा 24	अनिर्णीत	
20.	पैरा 25	अनिर्णीत	
21.	पैरा 26	अनिर्णीत	
22.	पैरा 27	अनिर्णीत	
23	पैरा 28	अनिर्णीत	
24	पैरा 29	अनिर्णीत	
25	पैरा 30	अनिर्णीत	
26.	पैरा 31	अनिर्णीत	
27	पैरा 32	अनिर्णीत	

28. पैरा 33 अनिर्णीत

(द) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2015**

1.	पैरा 7	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
2.	पैरा 8	अनिर्णीत	
3.	पैरा 10	अनिर्णीत	
4.	पैरा 11	अनिर्णीत	
5.	पैरा 12	अनिर्णीत	
6.	पैरा 15	अनिर्णीत	
7.	पैरा 16	अनिर्णीत	
8.	पैरा 17	अनिर्णीत	
9.	पैरा 18	अनिर्णीत	
10.	पैरा 19	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
11.	पैरा 20	अनिर्णीत	
12.	पैरा 21	अनिर्णीत	
13.	पैरा 22	अनिर्णीत	
14.	पैरा 23	अनिर्णीत	
15.	पैरा 24	अनिर्णीत	

(ध) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2016**

1.	पैरा 7	अनिर्णीत	
2.	पैरा 8	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
3.	पैरा 9	**निर्णीत**	(पैरे को वर्ष 2016-17 में पुनः प्रारूपित किया गया)
4.	पैरा 10	**निर्णीत**	(पैरे को वर्ष 2016-17 में पुनः प्रारूपित किया गया)
5.	पैरा 11	अनिर्णीत	
6.	पैरा 12	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
7.	पैरा 13	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)

8.	पैरा 14	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
9.	पैरा 15	अनिर्णीत	
10.	पैरा 16	अनिर्णीत	
11.	पैरा 17	अनिर्णीत	
12.	पैरा 18	अनिर्णीत	
13.	पैरा 19	अनिर्णीत	
14.	पैरा 20	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
15.	पैरा 21	अनिर्णीत	
16.	पैरा 22	अनिर्णीत	
17.	पैरा 23	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
18.	पैरा 24	अनिर्णीत	
19.	पैरा 25	अनिर्णीत	
20.	पैरा 26	अनिर्णीत	
21.	पैरा 27	अनिर्णीत	
22.	पैरा 28	अनिर्णीत	
23.	पैरा 29	अनिर्णीत	
24.	पैरा 30	अनिर्णीत	
25.	पैरा 31	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
26.	पैरा 32	अनिर्णीत	
27.	पैरा 33	**निर्णीत**	(संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2017

1.	पैरा 4(क)(ख)	अनिर्णीत	
2.	पैरा 7	अनिर्णीत	
3.	पैरा 8	अनिर्णीत	
4.	पैरा 9	**निर्णीत**	(पैरे को वर्ष 2018-19 में पुनः प्रारूपित किया गया)

5. पैरा 10	अनिर्णीत
6. पैरा 11	अनिर्णीत
7. पैरा 12	अनिर्णीत
8. पैरा 13	अनिर्णीत
9. पैरा 14	अनिर्णीत
10. पैरा 15	अनिर्णीत
11. पैरा 16	अनिर्णीत
12. पैरा 17	अनिर्णीत
13. पैरा 18(क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत
14. पैरा 19	अनिर्णीत
15. पैरा 20	अनिर्णीत
16. पैरा 21	अनिर्णीत
17. पैरा 23	अनिर्णीत
18. पैरा 24	अनिर्णीत
19. पैरा 25(1)(2)(3)	अनिर्णीत
20. पैरा 26	**निर्णीत** (संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
21. पैरा 27(क)(i)(ii) (iii)(iv)(ख)	अनिर्णीत
22. पैरा 28(क)(ख) (ग)(घ)(ड०)	अनिर्णीत
23. पैरा 29	**निर्णीत** (संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)
24. पैरा 30	अनिर्णीत
25. पैरा 31(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
26. पैरा 32	अनिर्णीत
27. पैरा 33	अनिर्णीत
28. पैरा 34(ii) से (vii)	अनिर्णीत
29. पैरा 35(क)	अनिर्णीत

30. पैरा 35(ख) **निर्णीत** (संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)

31. पैरा 36 अनिर्णीत

32. पैरा 37(क)(ख) अनिर्णीत

33. पैरा 38 अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2018

1. पैरा 3 **निर्णीत** (अंकेक्षण शुल्क **₹11,91,902/-** चैक संख्यां 247981 दिनांक 18.06.2018 जमा करवा दिया है)

2. पैरा 4(क)(ख)(ग) अनिर्णीत
   (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)
   (vii)(viii)(घ)(ड०)(च)(छ)

3. पैरा 5(क)(ख) **निर्णीत** (पैरे को वर्ष 2018-19 में पुनः प्रारूपित किया गया)

4. पैरा 6 **निर्णीत** (पैरे को वर्ष 2018-19 में पुनः प्रारूपित किया गया)

5. पैरा 7 अनिर्णीत

6. पैरा 8 **निर्णीत** (पैरे को वर्ष 2018-19 में पुनः प्रारूपित किया गया)

7. पैरा 9 अनिर्णीत

8. पैरा 10 अनिर्णीत

9. पैरा 11 अनिर्णीत

10. पैरा 12 अनिर्णीत

11. पैरा 13(क)(ख) अनिर्णीत

12. पैरा 14 **निर्णीत** (संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)

13. पैरा 15 अनिर्णीत

14. पैरा 16 अनिर्णीत

15. पैरा 17 **निर्णीत** (संतोषजनक उत्तर एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त)

16. पैरा 18 अनिर्णीत

17. पैरा 19 अनिर्णीत

18. पैरा 20 अनिर्णीत

19.	पैरा 21(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
20.	पैरा 22(क)(ख)	अनिर्णीत
21.	पैरा 23	अनिर्णीत
22.	पैरा 24(क)(ख)(ग) (घ)(1)(2)(3)(4)(5)(6)	अनिर्णीत
23.	पैरा 25	अनिर्णीत
24.	पैरा 26	अनिर्णीत
25.	पैरा 27	अनिर्णीत
26.	पैरा 28(i)(ii)(iii) (iv)(v) (vi)(vii) (क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत
27.	पैरा 29	अनिर्णीत
28.	पैरा 30(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
29	पैरा 31	अनिर्णीत
30.	पैरा 32	अनिर्णीत

1.	दिनांक 31.03.2018 को अनिर्णीत पैरो का शेष	247
2.	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाये गए पैरे	21
3.	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णित किये गए पैरे	25
4.	**दिनांक 31.03.2019 को कुल अनिर्णीत पैरों का शेष**	**243**